सत्यमेव जयते
Web Copy - Not ...

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 308/2017 दायर दिनॉक 06.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. फकरूदीन उर्फ लोडूखॉं पुत्र प्यारुखॉं, उम्र—70साल, जाति—शेरानी, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बाना पत्नी अहमदअली, उम्र—45साल, 2. इजाजखॉं पुत्र प्यारुखॉं, उम्र—72साल, 3. मोहम्मदअली पुत्र मनोहरखॉं, उम्र—50साल, 4. लाल मोहम्मद पुत्र मनोहरखॉं, उम्र—48साल, 5. हसनखॉं पुत्र मनोहरखॉं, उम्र—35साल, जाति—शेरानी, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. युको बैंक, शाखा—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— **88, 53, 188 R.T.Act.**

उपस्थित :—

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री नागपालसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 04 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनॉक **20.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एक ही परिवार के सदस्य हैं। शरहद डाबगॉंव में खेत खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा, खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा तथा शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा अवस्थित है। उक्त भूमियॉं वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा शरहद डाबगाँव सम्पूर्ण व शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से पूर्वी तरफ का रकबा 16 बीघा वादी के तथा रकबा 14 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 के एवं रकबा 10.15 बीघा प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 के कब्जाकाश्त में है। प्रतिवादी संख्या 02 को अन्य खेत में बन्ट दे दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 का खसरा नम्बर 08 में कोई हक अधिकार नहीं होने से इनका नाम इसके राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। वादी का नाम शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा में फखरूदीन के स्थान पर लोडूखाँ किया जावे क्योंकि वादी के सभी दस्तावेजात् आधार–कार्ड, राशन–कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक में नाम लोडूखाँ ही दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि भूमि संयुक्त खातेदारी में अवश्य दर्ज है मगर वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बन्टवारा हो गया है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण वर्तमान समय में भी उपुर्यक्त खसरान् की भूमि में काबिजकाश्त हैं। बन्टवारा निम्न प्रकार हैः–

1. वादी फकरूदीन उर्फ लोडूखाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा भूमि सम्पूर्ण नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में रखी गयी है। शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से पूर्वी तरफ का रकबा 16 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में रखी गयी है।

2. प्रतिवादी संख्या 01 बाना के बन्ट में आई भूमि–

खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा भूमि में से रकबा 14 बीघा भूमि व शरहद डाबगाँव के खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा में से रकबा 09.05 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में रखी गयी है।

3. प्रतिवादीगण संख्या 03, 04 व 05 मोहम्मद अली, लाल मोहम्मद व हसनखाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा भूमि में से रकबा 10.15 बीघा भूमि व शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा में से रकबा 09.05 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में रखी गयी है।

4. प्रतिवादी संख्या 02 ईजाजखाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा भूमि में से रकबा 09.07 बीघा भूमि।

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जावे। शरहद शेरानी आबाद में से खसरा नम्बर 455 में से प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–308 / 2017
दायर दिनाँक 06.11.2017, निर्णय दिनाँक 20.11.2017
फकरूदीन उर्फ लोड़खाँ बनाम् बाना, वगैरा।

वादी उपर्युक्त अपनी बन्ट की भूमि में कदीम से काश्त करते आये हैं। दिनाँक 01.11.2017 को प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियाँ धमकी दी है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को किसी भू–माफिया को बैचाण कर देंगे। वादी का कहना है कि प्रतिवादीगण ने उक्त वादी की बन्ट की भूमि को अगर किसी को बेच दिया तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से होना सम्भव नहीं होगा। इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी आया है।

वाद सरकारी भूमि बाबत् नहीं है। वाद भाई बन्टवारे का है। इसलिए तहसीलदार डीडवाना को वाद से पूर्व दो माह की अवधि को नोटिस नहीं दिया गया है परन्तु लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है।

बिनाय दावा दिनाँक 01.11.2017 को वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण द्वारा बैचाण की धमकी देने से इसी दिन नकल खतौनी लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि–

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी नजरीनक्शा अनुसार निम्न बन्ट में आयी भूमि अनुसार खातेदारी घोषित की जावे।

1. वादी फकरूदीन उर्फ लोडूखाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा भूमि सम्पूर्ण भूमि बन्ट में है। शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से पूर्वी तरफ का रकबा 16 बीघा भूमि बन्ट में रखी गयी है।

2. प्रतिवादी संख्या 01 बाना के बन्ट में आई भूमि–

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा भूमि में से रकबा 14 बीघा भूमि व शरहद डाबगाँव के खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा में से रकबा 09.05 बीघा भूमि बन्ट में रखी गयी है।

3. प्रतिवादीगण संख्या 03, 04 व 05 मोहम्मद अली, लाल मोहम्मद व हसनखाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा भूमि में से रकबा 10.15 बीघा भूमि व शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा में से रकबा 09.05 बीघा भूमि बन्ट में रखी गयी है।

4. प्रतिवादी संख्या 02 ईजाजखाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा भूमि में से रकबा 09.05 बीघा भूमि।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जावे। शरहद शेरानी आबाद में से खसरा नम्बर 455 में से प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 182 / 41 की प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम शेरानी आबाद सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 267 / 72 की प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 206 / 41 की प्रतिलिपि, लोड़खाँ पुत्र प्यारूखाँ की SOAPS स्वीकृति आदेश क्रमांक RJ-S-05202007 दिनाँक 20.06.2013 की स्वसत्यापित प्रतिलिपि, लोडूखाँ पुत्र प्यारूखाँ खाता संख्या 27170110042540 की यूको बैंक की पास बुक की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या RJ/25/194/099024 नाम लोडूखाँ पुत्र प्यारूखाँ की स्वसत्यापित छायाप्रति, परिवार राशन–कार्ड संख्या 00846 ग्राम शेरानी आबाद की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 651780188601 नाम लोडूखाँ पुत्र प्यारूखाँ की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत गणराज्य द्वारा जारी पासपोर्ट नम्बर K8511593 नाम लोडूखाँ पुत्र प्यारूखाँ की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 561138999970 की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 316849277675 नाम लालमोहम्मद शेरानी आत्मज मनोहरखान की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 589652076025 नाम इजाजखाँ पुत्र प्यारूखाँ की स्वसत्यापित छायाप्रति पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03, 05 ता 07 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 04 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 04 की ओर से पेश राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव व लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री नागापालसिंह राठौड़ ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के अनुसार–

मौजा शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा सम्पूर्ण रकबा वादी की खातेदारी में घोषित किया जावे।

शरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से 14 बीघा व शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बीघा में से रकबा 09.05 बीघा नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में प्रतिवादी संख्या 01 बाना के है।

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से रकबा 10.15 बीघा व शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा में से रकबा 09.05 बीघा नजरीनक्शा अनुसार भूमि प्रतिवादीगण संख्या 03, 04 व 05 के हैं।

शरहद डाबगाँव में में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा में से रकबा 09.07 बीघा नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 ईजाजखाँ के बन्ट में है।

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से रकबा 16 बीघा नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में रखी गयी है।

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 01 बाना का नाम हटाया जावे।

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 02 ईजाजखाँ का नाम हटाया जावे। व वादी का नाम फखरूदीन उर्फ लोडूखाँ दुरस्त किया जावे।

उपर्युक्त प्रकार से अगर वाद डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान् सहमत हैं।

वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। अधिवक्तागण पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान्, खातेदारी चाहते हैं। वाद में किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार कर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. शरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से रकबा 14 बीघा व शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा में से रकबा 09.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 बाना को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से रकबा 10.15 बीघा व शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बीघा में से रकबा 09.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03, 04 व 05 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा में से रकबा 09.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 ईजाजखाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से रकबा 16 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 01, बाना का नाम हटाया जाता है। शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 02, ईजाजखाँ का नाम हटाया जाता है।

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम "फकरूदीन पुत्र प्यारूखाँ" के स्थान पर "फखरूदीन उर्फ लोडूखाँ पुत्र प्यारूखाँ" दुरस्त किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **20.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **308/2017** दायर दिनाँक **06.11.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. फकरूदीन उर्फ लोडूखाँ पुत्र प्यारूखाँ, उम्र–70साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बाना पत्नी अहमदअली, उम्र–45साल, 2. इजाजखाँ पुत्र प्यारूखाँ, उम्र–72साल, 3. मोहम्मदअली पुत्र मनोहरखाँ, उम्र–50साल, 4. लाल मोहम्मद पुत्र मनोहरखाँ, उम्र–48साल, 5. हसनखाँ पुत्र मनोहरखाँ, उम्र–35साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. युको बैंक, शाखा–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **20.11.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री नागपालसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 04 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार कर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. शरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से रकबा 14 बीघा व शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा में से रकबा 09.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 बाना को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से रकबा 10.15 बीघा व शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बीघा में से रकबा 09.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03, 04 व 05 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 16 रकबा 27.17 बीघा में से रकबा 09.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 ईजाजखाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

5. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा में से रकबा 16 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 01, बाना का नाम हटाया जाता है। शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 455 रकबा 40.15 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 02, ईजाजखाँ का नाम हटाया जाता है।

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 08 रकबा 10.05 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम "फकरूदीन पुत्र प्यारूखाँ" के स्थान पर "फखरूदीन उर्फ लोडूखाँ पुत्र प्यारूखाँ" दुरस्त किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................ .....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **20.11.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner